रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART-II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2530] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 20, 2010/अग्रहायण 29, 1932

No. 2530] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 20, 2010/AGRAHAYANA 29, 1932

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बजट प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2979(अ).—संविधान के अनुच्छेद 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत की राष्ट्रपति एतद्द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर निम्नलिखित लेखा मानक निर्धारित करती है, अर्थात्—भारत सरकार लेखा मानक, सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां; केन्द्र, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) की सरकारों के लेखाओं के प्रपत्र के संबंध में प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं ।

2. भारत सरकार लेखा मानक 1 में केन्द्र और राज्य सरकारों के वित्तीय विवरणों में सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारंटियों के प्रकटन संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करती है, अर्थात् :—

सरकार द्वारा प्रदत्त गारंटियां : प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं

प्रस्तावना :—

(क). (1) केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें संविधान के अनुच्छेद 292 और 293 की दृष्टियों से जो भी मामला हो, गारंटियां ऐसे उधारों की वापसी अदायगी ऐसी सीमाओं के भीतर यदि कोई हो जो भारत की समेकित निधि अथवा राज्य की सुरक्षा पर निर्धारित की जा सके, देती है । केन्द्र सरकार द्वारा उधारों पर ब्याज की अदायगी, शेयर पूंजी की वापसी अदायगी और न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, स्थानीय निकायों, रेलवे, सरकारी कंपनियों अथवा निगमों, संयुक्त स्टॉक कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, पत्तन न्यासों, बिजली बोर्डों और सहकारी संस्थाओं की ओर से क्रेडिट आधार पर सामग्रियों एवं उपस्करों की आपूर्ति हेतु किए गए करारों के एवज में अदायगी हेतु गारंटियां भी दी जाती हैं । केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को मूलधन की वापसी अदायगी और ब्याज की अदायगी, नकद ऋण सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्य-कलापों के वित्त पोषण हेतु और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों और सहकारी बैंकों के संबंध में कार्यशील पूंजी प्रदान करने हेतु भी गारंटियां प्रदान की जाती हैं । इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, विदेशी ऋण एजेंसियों, विदेशी सरकारों, संविदाकारों और परामर्शदाताओं के साथे मूलधन की वापसी अदायगी, ब्याज की अदायगी और ऋणों पर वचनबद्धता प्रभारों की अदायगी के संबंध में किए गए करारों के अनुसरण में भी गारंटियां दी जाती हैं । केन्द्र सरकार विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को उन कंपनियों अथवा निगमों के पक्ष में ऋण आधार पर की जाने वाली आपूर्तियों अथवा दी जाने वाली सेवाओं के लिए साख-पत्र जारी कर बैंकों को प्रति गारंटी प्रदान करती है । केन्द्र सरकार विदेशों में भारतीय कंपनियों को तथा विदेशों में विदेशी कंपनियों को दी जाने वाली संविदाओं अथवा परियोजनाओं के पूरा होने के लिए निष्पादन गारंटी भी देती है । इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार कंपनियों और निगमों द्वारा दी जाने वाली देय राशि और ढुलाई प्रभारों के उचित और समय पर भुगतान के लिए रेलवे और बिजली बोर्डों को गारंटी देती है । इसी प्रकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल सहित) की सरकारों द्वारा भी गारंटियां दी जाती हैं ।

(2) चूंकी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, सहकारी संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, स्वायत निकायों और प्राधिकरणों का पृथक विधिक अस्तित्व होता है, अत: वे अपने ऋणों के लिए उत्तरदायी होते हैं । इनके वित्तीय दायित्वों को सरकार द्वारा गारंटी प्रदान की जा सकती है

और इस प्रकार सरकार की यह देखने की वचनबद्धता है कि इन्हें पूरा किया जाए । जब ये संस्थाएं/कार्यालय बाजार से सीधे उधार लेते हैं, तो उनको मिलने वाली सरकारी बजटीय सहायता और सरकार के उधार का परिमाण कम होता है । तथापि, इससे सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारंटियों का स्तर बढ़ता है । सरकारों द्वारा दी जाने वाली गारंटियों को देखते हुए लाभभोगी संस्थाओं/कार्यालयों को सरकार को गारंटी कमीशन अथवा शुल्क का भुगतान करना होता है । गारंटियों का एक महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ता है और परिणामस्वरूप लेन-देन अथवा आर्थिक प्रवाह तब होता है जब संगत घटना अथवा दशाएं वास्तविक रूप में होती हैं । इस प्रकार, गारंटियां सामान्यत: सरकारों की आकस्मिक देयता का निर्माण करती हैं ।

ख. उद्देश्य.—

इस मानक का उद्देश्य केन्द्र, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों (विधानमंडल सहित) द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में उनके संबंधित वित्तीय विवरणों में प्रकटन मानक निर्धारित करना है जिससे कि ऐसी गारंटियों का एकसमान और पूर्ण प्रकटन सुनिश्चित किया जा सके।

ग. कार्य क्षेत्र.—

(1) यह मानक सरकारों के वित्तीय विवरणों में समावेशन एवं प्रस्तुतीकरण हेतु गारंटियों का विवरण तैयार करने में लागू होता है। वित्तीय विवरणों की व्याख्या इस मानक के अनुपालन के रूप में तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि ये इसकी सभी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करते ।

(2) सरकार में वह प्राधिकरण जो वित्तीय विवरणों में समावेशन और प्रस्तुतिकरण हेतु गारंटियों का विवरण प्रस्तुत करता है, इस मानक को लागू करेगा । सरकार में प्राधिकरण द्वारा यथा प्रदत्त वित्तीय विवरणों में गारंटियों के विवरण के समावेशन और प्रस्तुतिकरण हेतु लेखा प्राधिकरण उत्तरदायी होगा ।

(घ) परिभाषाएं.—

इस मानक में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

(क) लेखा प्राधिकरण.—का अभिप्राय ऐसे प्राधिकरण से है जो सरकार के वित्तीय विवरण तैयार करता है;

(ख) सरकार में प्राधिकरण.—से अभिप्राय है गारंटियों हेतु ट्रेकिंग (मानिटरिंग) इकाई अथवा प्राधिकरण तथा इसके अभाव में, वित्त मंत्रालय अथवा विभाग, जैसा भी मामला हो;

(ग) स्वचालित ऋण प्रणाली.—का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके द्वारा सरकार का नकदी शेष निर्दिष्ट तारीख को अथवा सरकार द्वारा दी जाने वाली गारंटियों से उत्पन्न कतिपय दायित्वों को पूरा करने हेतु निर्दिष्ट घटनाओं के होने पर प्रभावित होता है;

(घ) वित्तीय विवरण.—का अभिप्राय सरकारों के वार्षिक वित्तीय लेखों से है ;

(ङ) गारंटी.—का अभिप्राय संबद्ध संविदा से है जिसके द्वारा वचनकर्ता ऋण के वचनग्रहीता के प्रति ऋण, चूक अथवा किसी अन्य व्यक्ति की विफलता के लिए जवाबदेह होना स्वीकार करता है। जिसकी वचनग्रहीता के प्रति प्राथमिक देयता होनी चाहिए अथवा अपेक्षित होनी चाहिए; तथा

(च) संरचित भुगतान व्यवस्था.—का अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसके द्वारा सरकार ऋणशोधन के लिए अनुबंधों के अनुसार पर्याप्त निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लाभभोगी संस्था/कार्यालय के असफल होने की स्थिति में नामित खाते में निधियां अंतरित के लिए सहमत होती है ।

(ङ) प्रकटीकरण.—

(1) केन्द्र सरकार का वित्तीय विवरण, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारें (विधानमंडल सहित) निम्नलिखित ब्यौरों का प्रकटीकरण करेंगे जो पैराग्राफ ड विनिर्दिष्ट प्रारूप में गारंटियों की श्रेणी अथवा क्षेत्र से संबद्ध होंगी :

(क) वर्ष के दौरान प्रदत्त गारंटियों की अधिकतम राशि, परिवर्धन और विलोपन (वर्ष के दौरान की गई गारंटी को छोड़कर) तथा वर्ष के प्रारंभ में और अंत में बकाया गारंटियां :

(ख) वर्ष के दौरान की गई और उन्मोचित अथवा उन्मोचित न की गई गारंटी राशि ;

(ग) गारंटी, कमीशन अथवा शुल्क और इसकी वसूली का ब्यौरा; और

(घ) अन्य सामग्री संबंधी ब्यौरा

(2) केन्द्र सरकार का वित्तीय विवरण, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों (विधानमंडल सहित) टिप्पणियों में निम्नलिखित ब्यौरों का प्रकटीकरण करेंगे जो गारंटियों की श्रेणी अथवा क्षेत्र से संबद्ध होंगी ;

(क) निर्धारित सीमा, यदि कोई हो, जिसके अंतर्गत सरकार गारंटी प्रदान कर सकती है;

(ख) क्या गारंटी उन्मोचन अथवा प्रारक्षित निधि अस्तित्व में है और इसका ब्यौरा जिसमें वर्ष के प्रारंभ में निधि में उपलब्ध शेष का प्रकटीकरण, वर्ष के अंत में किया गया कोई भुगतान और शेष;

(ग) वित्तीय विवरणों की तारीख में रुपए के संबंध में बाह्य विदेशी मुद्रा गारंटियों का ब्यौरा;

(घ) स्वचालित नामे तंत्र और संरचित भुगतान प्रबंध, यदि कोई हो, से संबद्ध ब्यौरा;

(ङ) क्या सरकार के बजट दस्तावेजों में गारंटियों का ब्यौरा निहित है;

(च) सरकार में गारंटियों के संबंध में ट्रैकिंग यूनिट अथवा पदनामित प्राधिकारी का ब्यौरा; और

(छ) अन्य सामग्री संबंधी ब्यौरा

(च) वित्तीय विवरण यह दर्शाए कि क्या गारंटियों का ब्यौरा संसद तथा राज्य विधान सभाओं में जैसा भी मामला हो, प्रस्तुत वार्षिक बजट में प्रकाशित किया जाता है,

(छ) वार्षिक रूप से स्वीकृत, रद्द और बकाया सभी प्रतिभूतियों के लिए उपयुक्त डाटाबेस रखने के लिए अपनी-अपनी सरकारों के वित्त मंत्रालय या विभाग में गारंटियों की ट्रैकिंग यूनिट प्रायः पदनामित की जाती है । वित्तीय विवरणों से गारंटियों की ट्रैकिंग यूनिट अथवा इस उत्तरदायित्व के प्रभारी संबंधित किसी प्राधिकारी का ब्यौरा प्रकट होता है ।

(ज) कई सरकारों ने या तो गारंटी मोचन निधि या फिर एक गारंटी प्रारक्षित निधि स्थापित किया है। कुछ सरकारों ने सरकार द्वारा निष्पादित ऐसी गारंटियों से उत्पन्न बाध्यताओं को निपटाने के लिए स्वचालित नामे तंत्र की व्यवस्था की है। संरचित भुगतान प्रबंध भी हैं । वित्तीय विवरण इन व्यवस्थाओं से संबंधित पूर्ण ब्यौरा दर्शाते हैं।

(झ) जब गारंटियां दी जाती हैं और भुगतान की जाती है, तब भुगतान उस लाभभोगी के ऋण के रूप में माना जाता है जिसकी ओर से गारंटी दी गई और वसूलियों को उसके एवज में मॉनिटर किया जाता है । व्यय, ऋण और वसूलियों को वित्तीय विवरणों में अलग-अलग वर्गीकृत किया गया है। यदि यथासमय ऋण की राशि संपूर्ण अथवा आंशिक भाग में अशोध्य हो जाती है तो उसे समायोजित किया जाता है (क) जहां गारंटी प्रारक्षित निधि मौजूद होता है वहां ऐसे फंड को डेबिट से और (ख) जहां गारंटी प्रारक्षित निधि मौजूद नहीं है वहां कार्य के तहत "अशोध्य ऋण बट्टे खाते" को जिसके लिए ऋण को गारंटी दी गई है, को डेबिट द्वारा और जहां उद्देश्य की पहचान नहीं की जा सकती, वहां "विविध सामान्य सेवाएं" को डेबिट द्वारा निष्पन्न किया जाता है ।

(ञ) अनुच्छेद ङ और ड के उद्देश्यों के लिए वर्ग अथवा क्षेत्र जिसके तहत केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों (विधान मंडल सहित) के वित्तीय विवरणों में प्रकटन है, निम्न प्रकार बनाए जाएंगे :

श्रेणी

(i) भारतीय रिर्जव बैंक, अन्य बैंक और वित्तीय संस्थानों को मूलधन अदायगी और ब्याज भुगतान, नगद क्रेडिट सुविधा, मौसमी कृषि कार्यकलापों के वित्त पोषण और कंपनियों, निगमों और सहकारी सोसायटियों और बैंकों को कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए गारंटियां दी गई;

(ii) गारंटियां, शेयर पूंजी अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश भुगतान और सांविधिक निगमों और वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी या जुटाए गए बाँडों अथवा ऋणों, ऋण पत्रों की अदायगी के लिए दी गई ।

(iii) भारत सरकार द्वारा मूलधन अदायगी, ऋणों पर ब्याज अथवा प्रतिबद्धता प्रभार भुगतान और सामग्री और उपस्कर आपूर्ति अथवा प्रदत्त सेवाओं के एवज में भुगतान के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों, विदेशी उधारदाता एजेंसियों, विदेशी सरकारों, विदेशी ठेकेदारों, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं और विदेशी सलाहकारों के साथ किए गए समझौतों के अनुसरण में दी गई गारंटियां;

(iv) बैंकों की सलाह से उन बैंकों को प्रति गारंटियां जिन्होंने आपूर्ति की अथवा प्रदत्त सेवा के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को साख पत्र जारी किए हैं;

(v) कंपनियों अथवा निगमों द्वारा बकाया और नियतकालिक भुगतानों के लिए रेलवे/राज्य विद्युत बोर्डों और अन्य कंपनियों को दी गई गारंटियां;

(vi) विदेशों में भारतीय कंपनियों अथवा निगमों को दी गई संविदाओं अथवा परियोजनाओं की पूर्ति के लिए प्रदत्त निष्पादन गारंटियां ;

(vii) विदेशी में विदेशी कंपनियों अथवा निगमों को दी गई संविदाओं अथवा परियोजनाओं की पूर्ति के लिए प्रदत्त निष्पादन गारंटियां;

(viii) अन्य कोई ।

क्षेत्र

(i) विद्युत;

(ii) सहकारिता;

(iii) सिंचाई;

(iv) सड़क और परिवहन;

(v) राज्य वित्त निगम;

(vi) शहरी विकास और आवास;

(vii) अन्य अवसंरचना;

(viii) अन्य कोई ।

प्रभावी दिनांक.—

(ट) यह भारत सरकार का लेखा मानक केन्द्रीय सरकार के वित्तीय विवरणों में वर्गवार प्रकटन और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों (विधान मंडल सहित) के वित्तीय विवरणों में क्षेत्रवार प्रकटन के लिए दिनांक 1-4-2010 को अथवा इसके बाद की अवधियों सहित वित्तीय विवरणों के लिए प्रभावी हो जाएगा ।

(ठ) अनुच्छेद ड में विनिर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के लिए क्षेत्रवार प्रकटन को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार अथवा विधानमंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के वित्तीय विवरणों में शमिल करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए ।

क्षेत्र (कोष्ठक के अंतर्गत गारंटियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि (रुपए)	वर्ष के प्रारंभ में बकाया (रुपए)	वर्ष के दौरान परिवर्धन (रुपए)	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर) (रुपए)
1	2	3	4	5

वर्ष के दौरान प्रदत्त (रुपए)		वर्ष के अंत में बकाया (रुपए)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

प्रकटन प्रारूप

(ङ) केन्द्र सरकार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के वित्तीय विवरणों में श्रेणीवार तथा क्षेत्रवार संबंधी प्रपत्र क्रमशः नीचे दिए गए हैं:

श्रेणीवार विवरण : गारंटियों के लिए

श्रेणी (कोष्ठक के अंतर्गत गारंटियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि (रुपए)	वर्ष के प्रारंभ में बकाया (रुपए)	वर्ष के दौरान परिवर्धन (रुपए)	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर) (रुपए)
1	2	3	4	5

वर्ष के दौरान प्रदत्त (रुपए)		वर्ष के अंत में बकाया (रुपए)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

प्रत्येक श्रेणी हेतु क्षेत्रवार ब्यौरा: गारंटियों के संबंध में

श्रेणी और क्षेत्र (कोष्ठक के अंतर्गत गारंटियों की संख्या)	वर्ष के दौरान अधिकतम गारंटीशुदा राशि (रुपए)	वर्ष के प्रारंभ में बकाया (रुपए)	वर्ष के दौरान परिवर्धन (रुपए)	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त गारंटियों को छोड़कर) (रुपए)
1	2	3	4	5

वर्ष के दौरान प्रदत्त (रुपए)		वर्ष के अंत में बकाया (रुपए)	गारंटी कमीशन अथवा शुल्क		अन्य सामग्री विवरण
उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
6	7	8	9	10	11

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से,

शक्तिकान्त दास, संयुक्त सचिव